

6/6/2025

पत्रावली पेश हुई। वक्तु उपर्युक्त। पत्रार्थी वकील के कथन  
 रहे कि पत्रार्थी का नाम राम बोल-महाल में  
 गोविन्द सिंह पुत्र कौराम के नाम से जाना जाता  
 रहा है। इसी कारण पत्रार्थी का नाम राजस्व  
 रिकॉर्ड में गोविन्द सिंह अंकित हो गया है।  
 लेकिन पत्रार्थी के समस्त दस्तावेज यथा  
 आधार कार्ड, पैनकार्ड, भामशाह कार्ड में पत्रार्थी  
 का नाम गोकुल उर्फ गोविन्द सिंह है। पत्रार्थी के  
 राजस्व रिकॉर्ड अमाबंदी खाता संख्या 39 में  
 गोकुल उर्फ गोविन्द सिंह अंकित है। लेकिन  
 धाराणी खाता संख्या 31 वाले ग्राम बखैरा व  
 खाता संख्या 120 वाले ग्राम नगला भड्डा  
 में गलत अंकन गोविन्द दर्ज रखा है।  
 हमने तहसीलदार, नदरई की रिपोर्ट दिनांक  
 13/5/2025 का अवलोकन किया तो गोकुल  
 व गोविन्द सिंह एक ही व्यक्ति हैं। अतः  
 गोकुल उर्फ गोविन्द सिंह पुत्र कुरे किया  
 जाना न्यायसंगत है।

1.  
17.

Regis



हमने बहल को लुना, पत्रावली  
 उपलब्ध रिपोर्ट का डाकबोका कि  
 ने पाया कि गौविन्द व गोकुल एक  
 ही जमाबंदी हैं। ठार! पार्सी का पार्सी-  
 फर लीगा किया जाकर पार्सी का  
 नाम जमाबंदी खसरा संख्या 253,  
 254 वाले ग्राम बसरा एवं खसरा  
 संख्या 178, 179, 180, 181 वाले ग्राम  
 मंगला मउसा में गोकुल ठार  
 गौविन्द सिंह पुत्र कारे किया जाता है।  
 तदनुसार राजस्व रिपोर्ट में ठार  
 किया जावे।

पत्रावली पुलना शुभा दीक  
 नम्बर ले कम की जाकर दाखिल  
 करा है।

(Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page)